महाविद्यालय प्रार्थना

ओ३म् भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात् ।।
ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भद्रं तन्न आ सुव।

वैदिक मंत्र

ओ३म् सं समिधुवसे, वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ।।
इडस्पदे समिध्यसे, स नो वसून्या भर।
ओ३म् संगछध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्।।
देवा भागं यथा पूर्वे, सं जानाना उपासते।
समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम।।
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि।
ओ३म् समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।।
समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति।

शान्तिपाठ

ओ३म् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षँ शान्तिः पृथिवी शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

प्रार्थना

ब्रह्मन् ! स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म-तेजधारी। क्षत्रिय महारथी हों अरिदल-विनाशकारी।
होवें दुधारु गौएँ पशु अश्व आशुवाही। आधार राष्ट्र की हों नारी सुभग सदा ही।
बलवान सभ्य योद्धा यजमान-पुत्र होवें। इच्छानुसार वर्षे पर्जन्य ताप धोवें।
फल-फूल से लदी हों औषध अमोघ सारी। हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी।

प्रार्थना

हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
अज्ञानता से हमें तार दे माँ

तू स्वर की देवी ये संगीत तुझ से,
हर शब्द तेरा है हर गीत तुझ से,
हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे,
तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ......

मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी,
वेदों की भाषा, पुराणों की बानी,
हम भी तो समझे, हम भी तो जानें,
विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ......

तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे,
हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे,
मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
हमको उजालों का संसार दे माँ
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ......

विवरण पत्रिका

कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय

7/147, स्वरूप नगर, कानपुर-208002

Website:http://www.kvmpgcollege.org.in
E-mail: mail@kvmpgcollege.in
Phone: 0512-2557667

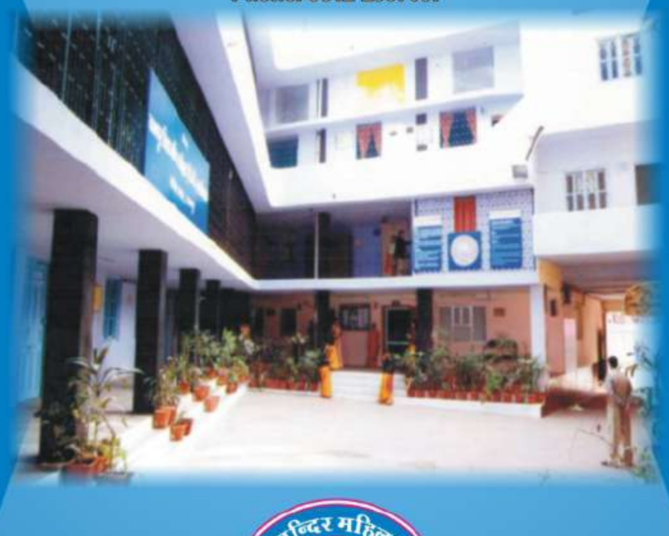

मूल्य :100 रुपये

शिक्षणेत्तर मण्डल

1.	श्री लोकेश कुमार तिवारी	- कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री अवधेश कुमार	- नैत्यिक लिपिक
3.	श्रीमती सुमन शर्मा	- पुस्तकालय लिपिक
4.	श्री महेन्द्र राम	- चतुर्थ श्रेणी (बुक लिफ्टर)
5.	श्री देवी प्रसाद कश्यप	- चतुर्थ श्रेणी
6.	श्री धनबहादुर	- चतुर्थ श्रेणी
7.	श्रीमती रत्ना देवी	- चतुर्थ श्रेणी
8.	श्री गया प्रसाद	- चतुर्थ श्रेणी
9.	श्री रणजीत तिवारी	- चतुर्थ श्रेणी

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्ववित्तपोषित

विज्ञान संकाय :-

1. श्रीमती अलका विश्वकर्मा (भौतिक विज्ञान)
   एम.एससी., एम.फिल.
2. श्रीमती कविता सिन्हा (भौतिक विज्ञान)
   एम.एससी., एम.फिल.
3. डा० चम्पा रामनानी (गणित)
   एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
4. डा० शलिनी गुप्ता (गणित)
   एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डा० रमा कटियार (जन्तु विज्ञान)
   एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी.
6. डा० जसमीत कौर (रसायन विज्ञान)
   एम.एससी., पीएच.डी.
7. श्रीमती वर्तुला सिंह (रसायन विज्ञान)
8. डा० शोभा मिश्रा (वनस्पति विज्ञान)
9. डा० शोभिता पाण्डेय (वनस्पति विज्ञान)

वाणिज्य संकाय:-

1. सुश्री पल्लवी मिश्रा
   एम.काम., नेट
2. सुश्री मानसी बाजपेयी
   एम.काम., नेट
3. सुश्री जागृति तिवारी
   एम.काम., नेट

हमारे प्रेरणा स्तम्भ

परमश्रद्धेय स्व. श्री इन्द्रजीत जैन
संस्थापक अध्यक्ष

परमश्रद्धेय स्व. डा. ईश्वर चन्द्र गुप्त
संस्थापक सचिव

"कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ पदचिन्ह बनाते हैं।
ध्येय मार्ग के हैं पथिक जो, वे जग में पूजे जाते हैं।।"

महाविद्यालय प्रबन्धकारिणी समिति

1.	श्री रवि कुमार भदौरिया	अध्यक्ष
2.	डा० आलोक कुमार मेहरोत्रा	उपाध्यक्ष
3.	डा० डी. सी. गुप्त	सचिव
4.	डा० विनोद कुमार गुप्त	संयुक्त सचिव
5.	डा० जे. पी. गुप्त	कोषाध्यक्ष
6.	श्री सुरेश गुप्त	सदस्य
7.	डा० सुनील कुमार मिश्र	सदस्य
8.	डा० सर्वेश कुमार कुशवाहा	सदस्य
9.	श्री शरद कुमार सिंह	सदस्य
10.	श्री प्रदीप कुमार गुप्त	सदस्य
11.	डा० के. के. त्यागी	सदस्य
12.	श्री प्रशान्त टण्डन	सदस्य
13.	डा० रेनू त्रिपाठी	सदस्य

हमारे पथ-प्रदर्शक

डा. डी. सी. गुप्त
सचिव

"ध्येय मार्ग पर चलने वाले, प्रतिदान नहीं मांगा करते।
मान उन्हें ही मिलता है, जो सम्मान नहीं मांगा करते।।"

प्राध्यापिका मण्डल

डा. मृदुला शुक्ला
एम.ए., पी-एच.डी.
(कार्य० प्राचार्या)

कला संकायः-

1. डा० निशा पाठक (संगीत वादन)
एम.ए., नेट, पीएच.डी.
2. डा० निरूपमा त्रिपाठी (संस्कृत)
एम.ए., नेट, पीएच.डी.
3. डा० अनुपमा कुमारी (गृह विज्ञान)
एम.एससी., नेट, पीएच.डी.
4. सुश्री आंचल तिवारी (अंग्रेजी)
एम.ए., नेट
5. सुश्री विमला देवी (अर्थशास्त्र)
एम.ए., नेट
6. सुश्री पूर्णिमा शुक्ला (समाजशास्त्र)
एम.ए., एम.फिल., नेट
7. सुश्री निक्की वेदी (शिक्षाशास्त्र)
एम.ए., नेट

पुस्तकालय :-

8. डा० कुसुमलता मलिक (एसो. प्रोफेसर पुस्तकालय)
एम.एससी., एम.लिब., पी-एच.डी.

मानदेय पर :-

9. डा० अर्चना द्विवेदी (मनोविज्ञान)
एम.ए., पीएच.डी.
10. डा० दीपा ध्यानी (शिक्षाशास्त्र)
एम.ए., नेट, पीएच.डी.
11. डा० सुषमा त्रिवेदी (हिन्दी)
एम.ए., पीएच.डी.
12. श्रीमती आकाँक्षा श्रीवास्तव (अंग्रेजी)
एम.ए., एम.फिल.
13. श्री ज्ञानेन्द्र मौर्य (तबला संगतकार)

चमेली देवी सावित्री देवी का.वि.म.म. महाविद्यालय

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय में विविध विषयों की श्रेष्ठ उपयोगी पुस्तकें हैं तथा वाचनालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रमुख पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

पुस्तकालय के नियमः-

1. छात्रायें पुस्तकालयाध्यक्ष को फीस रसीद व एडमीशन स्लिप दिखाकर अपना लाइब्रेरी कार्ड प्रवेश तिथि से 15 दिन के अन्दर बनवा लें।
2. बहुमूल्य पुस्तकें छात्राओं को घर के लिए नहीं दी जायेंगी, वे परिचय पत्र दिखाकर वाचनालय में ही पढ़ सकती हैं।
3. पत्रिकायें किसी विद्यार्थी को घर के लिए नहीं दी जायेंगी। उनका प्रयोग भी वाचनालय में किया जा सकेगा।
4. सभी पुस्तकें सत्र सम्पूर्ण होने के पहले वापस करनी होंगी अन्यथा छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. यदि वापस लौटाते समय पुस्तकें अन्दर से कटी-फटी पाई जायेंगी तो छात्राओं को नई पुस्तक या पुस्तक का मूल्य देना होगा। अतः पुस्तकें लेते समय छात्रायें पुस्तक की भली प्रकार से जाँच कर लें। पुस्तकें आपकी मार्गदर्शक हैं, इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है।
6. पुस्तकालय की जमा सुरक्षित धनराशि आवेदन पत्र देने पर 50% लौटा दी जायेगी।
7. पुस्तकें निर्धारित समय पर जमा न करने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

छात्राओं के लिए आवश्यक सूचनाः-

1. छात्राओं को महाविद्यालय एवं कक्षाओं में निश्चित समय पर नियमित रूप से आना होगा तथा उनकी प्रतिदिन की उपस्थिति विश्वविद्यालय भेजी जायेगी।
2. अवकाश के समय छात्रायें शान्तिपूर्वक छात्रा-कक्ष में अपना कार्य करेंगी, महाविद्यालय प्रांगण/बरामदे में इधर-उधर घूमना निषिद्ध है। आकस्मिकता की स्थिति में कक्षायें पूर्ण करने से पूर्व घर जाने हेतु प्राचार्या को आवेदन पत्र देने के बाद ही अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. सभी छात्रायें महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा में ही आयेंगी। छात्राएँ मोबाइल फोन लेकर व ज्वैलरी पहनकर नहीं आयेंगी।
4. छात्राओं के संरक्षकों से प्रार्थना की जाती है कि वे महाविद्यालय के नियम पालन एवं अनुशासन में अपना पूर्ण सहयोग देवें।
5. सभी छात्राओं को प्रार्थना में सम्मिलित होना होगा।
6. सभी छात्रायें अपने वाहन निर्दिष्ट स्थान पर ही रखें।
7. महाविद्यालय में पान मसाला/तम्बाकू का सेवन वर्जित है। खाते हुए पाये जाने पर रु.200/- आर्थिक दण्ड देना होगा।
8. महाविद्यालय में प्राचार्या की अनुमति के बिना छात्राएं पारिवारिक या अन्य सम्बन्धी व्यक्ति से पही मिल सकेंगी।
9. छात्रायें उपर्युक्त नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगी।

कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय

7/147, स्वरूप नगर, कानपुर-208002

विवरण पत्रिका

विद्या मनुष्य के चरित्र का निर्माण करने वाली, गहन अन्धकार में प्रकाश पुंज बिखेरने वाली व अनन्त शक्तियों का भण्डार है। विद्यालय विद्यार्थी के चरित्र एवं भविष्य निर्माण के केन्द्र होते हैं। क्षेत्रीय बालिकाओं की उच्च शिक्षा की महती आवश्यकता का अनुभव करते हुए कानपुर विद्या मन्दिर सोसाइटी द्वारा छात्राओं के लिए 1 जुलाई, 1984 को कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय की स्थापना की गयी। कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय को वर्ष 1987 से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है।

महाविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक), बंगलुरू द्वारा वर्ष 2008 में एवं वर्ष 2019 में मूल्यांकित हुआ।

महाविद्यालय की विशद् दृष्टि (Vision)

"संश्रुतेन गमेमहि" के अनुसार छात्राओं के चतुर्मुखी विकास हेतु वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए संकल्पबद्धता।

महाविद्यालय का ध्येय (Mission)

छात्राओं के सन्तुलित राष्ट्रीय व्यक्तित्व निर्माण के लिए वैदिक सांस्कृतिक मूल्यों की अवस्थापना।

महाविद्यालय का उद्देश्य (Objective)

छात्राओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना जिससे उनमें आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सामाजिकता, आध्यात्मिकता व मूल्यों के प्रति विश्वास जागृत हो।

छात्राओं में तर्क-शक्ति के प्रयोग हेतु रूचि जागृत कर वैज्ञानिक सोच व आत्म निर्भरता की मनोवृत्ति का विकास कर विचारों तथा अनुभवों के विनिमय का वातावरण उत्पन्न करना।

प्रवेश

निर्देश एवं नियमः

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कार्यालय से विवरण-पत्रिका सहित आवेदन-पत्र 100/- रुपये में प्राप्त किया जा सकता है।

इण्टरमीडिएट (१०+२) उत्तीर्ण छात्राएं ही प्रवेश हेतु अर्ह हैं। छात्राओं को प्रवेश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यशैली अपनानी आवश्यक है :-

1. छात्राएं प्रवेश आवेदन पत्र स्वयं सावधानीपूर्वक पूरित कर उस पर अपना छविचित्र यथास्थान लगा कर निम्न प्रपत्रों के साथ संलग्न करें :
   (1) हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि
   (2) अन्तिम परीक्षा के प्राप्तांको की स्व प्रमाणित सत्य-प्रतिलिपि।
   (3) अन्तिम विद्यालय से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (मूल रूप में)
   (4) अन्तिम शिक्षण संस्था का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (मूल रूप में) संलग्न करें।
   (5) जाति एवं आय प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करें। छात्रा को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसका लाभ दिया जायेगा अन्यथा नहीं।
   (6) आधार कार्ड की स्व प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करें।
   (7) प्रत्येक संकाय में प्रवेश सीटें निर्धारित है। अतः **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर अपना प्रवेश शीघ्रता से करा लें।

विशेषः

1. **जिन छात्राओं ने अपनी अन्तिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ.प्र. इलाहाबाद अथवा सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से उत्तीर्ण की है, उन्हें प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) भी मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।**
2. छात्राएं जो भी प्रमाणपत्र व उनकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ जमा करेंगी, उनकी सत्यता का दायित्व स्वयं उनका होगा।
3. **प्राचार्या से प्रवेश का आदेश प्राप्त हो जाने पर कार्यालय से प्राप्त चालान <u>कैनरा बैंक, स्वरूप नगर, कानपुर शाखा</u> में निर्धारित शुल्क के साथ अगले कार्य दिवस तक अवश्य जमा कर दें तथा उसकी एक प्रति फार्म के साथ कार्यालय में तुरन्त जमा करें अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।**
4. प्रवेश शुल्क की रसीद दिखाकर परिचय-पत्र प्राप्त करें। उस पर अपना पासपोर्ट आकार का नवीन छविचित्र लगाकर मुख्य अनुशासक से प्रमाणित करायें तथा प्रतिदिन महाविद्यालय में लेकर आयें।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी विशेष सूचना

महाविद्यालय में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। पात्र छात्राएं कार्यालय से सम्पर्क कर छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.Scholoarship.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका प्रिन्टआउट पत्रजातों सहित महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।

उ०प्र० शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शासनादेशानुसार छात्रा को निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियां वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरना आवश्यक होगा।

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदिका को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिये स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

अपने भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर एवं इसके प्रिंट आउट को समस्त अन्य वांछित डॉक्यूमेण्ट जैसे- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र/निवास प्रमाण पत्र, आधार, हाईस्कूल का अंकपत्र-प्रमाण पत्र, कालेज में जमा किये गये शुल्क की रसीद की कापी एवं बैंक की पासबुक की कापी जिस पर एकाउंट नम्बर प्रदर्शित हो रहा है आदि प्रतिलिपियां संलग्न करते हुए महाविद्यालय में जमा करना होगा।

सभी मुस्लिम (O.B.C.) तथा अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) की छात्राएं केवल अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) में ही आवेदन करेंगी व अल्पसंख्यक वर्ग (Minority) का ही जाति प्रमाण पत्र लगाएंगी।

महाविद्यालय पत्रिका:-

छात्राओं की रचनात्मक शक्तियों के विकास हेतु "उपज्ञा" पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें छात्रायें स्वरचित लेख/कविता/कहानी आदि दे सकती हैं।

सांस्कृतिक विकास:-

महाविद्यालय की छात्राओं की अन्तर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्राओं में वाद-विवाद, अन्त्याक्षरी, लोकनृत्य, लोकगीत एवं भाषण आदि प्रतियोगिताएं होती है; जिसके लिये डा० ईश्वर चन्द्र गुप्त स्मृति हाल (ए.सी.) हॉल उपलब्ध है।

उपस्थिति:-

किसी भी छात्रा को विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रत्येक विषय में उसकी उपस्थिति 75% होने पर दी जायेगी।

क्रीड़ा:-

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों की व्यवस्था है- वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, कैरम, बैडमिंटन एवं शतरंज आदि तथा महाविद्यालय में प्रतिवर्ष Sports Day का आयोजन भी किया जाता है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण:-

महाविद्यालय में छात्राओं के लिए कम्प्यूटर का 'CCC' कोर्स संचालित है। जिसका प्रमाण-पत्र UPTEC द्वारा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना:-

राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने वाले विद्यार्थी, समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य कर सकते हैं।

5. छात्राओं को कक्षा में प्रवेश-पर्ची (Admission Slip) दिखाना आवश्यक है, जिससे उनका नाम सम्बन्धित विषय की उपस्थिति पंजिका में लिखा जा सके।
6. विद्यार्थियों को विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अतः प्रवेश फार्म में भलीभाँति विचार करके ही विषय भरें।
7. बी०ए० द्वितीय अथवा तृतीय भाग में प्राइवेट परीक्षा देने वाली **छात्राओं/उत्तीर्ण छात्राओं** को संस्थागत छात्रा के रूप में कालेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परास्नातक (M.A.): शिक्षाशास्त्र एवं संस्कृत

कला स्नातक (B.A.): छात्राओं को निम्नलिखित में से कोई 3 विषय लेने होंगे-

(1) हिन्दी साहित्य	(2) अंग्रेजी साहित्य	(3) संस्कृत
(4) शिक्षाशास्त्र	(5) अर्थशास्त्र	(6) समाजशास्त्र
(7) मनोविज्ञान	(8) अंग्रेजी भाषा	(9) हिन्दी भाषा
(10) गृह विज्ञान	(11) संगीत वादन (सितार)	

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत:-

विज्ञान स्नातक (B.Sc.):

(1) बायो वर्ग : जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान
(2) गणित वर्ग : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित।

वाणिज्य स्नातक (B.Com.): विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नवीन पाठ्यक्रमानुसार सभी अनिवार्य विषय

नोट:

1. पर्यावरण अध्ययन विषय स्नातक स्तर की सभी छात्राओं को स्नातक प्रथम वर्ष में लेना अनिवार्य है।
2. **अंग्रेजी भाषा के साथ हिन्दी भाषा नहीं ली जा सकती है।**
3. **तीन साहित्य एक साथ नहीं लिये जा सकेंगे।**
4. **तीन प्रयोगात्मक विषय एक साथ नहीं ले सकते हैं।**
5. **शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान दोनों विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।**
6. स्नातक भाग तीन के लिए स्नातक भाग दो में चयनित विषयों में से कोई दो विषय ही लिए जायेंगे।
7. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) न होने पर प्रवेश नहीं लिया जाएगा।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kanpuruniversity.org पर WRN पंजीकरण अनिवार्य है।

शुल्क

वार्षिक शुल्क:- समस्त छात्राओं के लिए

(1) रजिस्ट्रेशन शुल्क	-	5.00
(2) प्रवेश तथा पुन: प्रवेश शुल्क	-	3.00
(3) विकास शुल्क	-	36.00
(4) पुस्तकालय शुल्क (स्नातक)	-	15.00
पुस्तकालय शुल्क (परास्नातक)	-	25.00
(5) वाचनालय शुल्क	-	12.00
(6) परिचय पत्र	-	6.00
(7) पत्रिका शुल्क	-	10.00
(8) विद्यार्थी सहायता शुल्क	-	6.00
(9) विद्यार्थी कल्याण कोष	-	16.00
(10) ग्रीष्म तथा शीत ऋतु शुल्क	-	100.00
(11) क्रीड़ा एवं चिकित्सा शुल्क	-	36.00
(12) विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (उन छात्राओं के लिए जो नामांकित नहीं है)	-	100.00
(13) विश्वविद्यालय क्रीड़ा शुल्क	-	20.00

(14) विश्वविद्यालय परीक्षा एवं टोकन शुल्क

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
स्नातक (कला,विज्ञान,वाणिज्य)	735.00	735.00	735.00
परास्नातक (कला)	885.00	885.00	

(15) विश्वविद्यालय प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा शुल्क	-	100.00
(16) लघु शोध प्रबन्ध जमा करते समय फीस ली जायेगी	-	1500.00
(17) सुरक्षित धन - (1) प्रयोगशाला सुरक्षित धन	-	30.00
(2) पुस्तकालय सुरक्षित धन	-	30.00
(18) मासिक शुल्क		
1) शिक्षण शुल्क (स्नातक)	-	---
2) शिक्षण शुल्क (परास्नातक)	-	---
3) मँहगाई शुल्क	-	3.50
4) प्रयोगशाला शुल्क (प्रति विषय)	-	20.00
(19) शिक्षण शुल्क (स्ववित्त पोषित) :-		
विज्ञान स्नातक (वार्षिक)	-	4000.00
वाणिज्य स्नातक (वार्षिक)	-	5000.00

नोट:-

1. सभी मासिक शुल्क (बारह महीने के) तथा वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय देय होंगे।
2. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त किसी भी शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है, तदनुसार परिवर्तित शुल्क छात्रा द्वारा देय होगा।
3. **प्रवेश लेने वाली छात्रा का एक बार जमा किया गया कोई भी शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**
4. सुरक्षित धनराशि परीक्षाफल निकलने के दो माह के अन्दर विद्यार्थी के आवेदन पत्र देने पर ही 50% वापस की जायेगी।
5. बी.एससी./बी.काम. कक्षाओं का शुल्क स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नियमानुसार देय होगा।
6. **छात्रायें मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेसिंग का अनिवार्य रुप से पालन करेंगी।**

महाविद्यालय से प्राप्त होने वाली सुविधाएं

1. मेधावी तथा निर्धन छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है।
2. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (N.S.S.) क्रियान्वित है।
3. महाविद्यालय की इच्छुक छात्राओं हेतु Spoken English कक्षायें ली जाती है।

भूतपूर्व छात्रा समिति:-

महाविद्यालय की उत्तीर्ण छात्रायें भूतपूर्व छात्रा समिति (रजि.) "ओजस्विनी" की सदस्य होंगी।

प्रवेश पंजिका संख्या .... WRN No: [ ]

आधार नं.: [ ]

कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय

स्वरूप नगर, कानपुर

प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र

वर्ष : 2021-2022

कक्षा

जाति ....

छात्रा का टिकट साइज चित्र

(नोटः- सभी सूचनायें स्पष्ट एवं सुलेख में पूरित करें। नाम, पिता-माता का नाम एवं अंकतालिका क्रमानुसार लिखें।)

(1) नाम छात्रा कु./श्रीमती (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) [ ]

(2) निर्वाचित विषय (1) .... (2) .... (3) .... (4) ....

(3) परिक्षा का माध्यम (Medium of Exam) हिन्दी/अंग्रेजीः (1) .... (2) ....

(4) (अ) पिता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) [ ]

(ब) माता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) [ ]

(स) घर का पूरा स्थायी पता .... पिन ....

(द) संरक्षक का नाम एवम् छात्रा से सम्बन्ध ....

(घ) संरक्षक का व्यवसाय (पद, विभाग व पता) .... पिन ....

(5) वार्षिक आय .... (यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।)

स्थानीय पता ....

(अ) टेलीफोन/मो0 नं0 निजी .... (ब) समीपवर्ती का नाम .... मो0 न0. ....

(6) मोबाइल नं. (अभिभावक) .... ई.मेल ....

(7) जन्म तिथि (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार) [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ][ ][ ]

(8) जाति श्रेणी .... उपजाति .... धर्म ....

(1. सामान्य 2. अनुसूचित 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक)

(9) विवाहित/अविवाहित .... उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि ....

(10) उत्तीर्ण परीक्षायेंः-

परीक्षा	अनुक्रमांक	वर्ष	श्रेणी	उच्चतम अंको के साथ		विद्यालय जहाँ शिक्षा पाई हो	पाठ्य विषय
				प्राप्तांक	प्रतिशत		
हाईस्कूल							
इण्टरमीडिएट							
बी.ए./बी.एस सी./बी.काम. प्रथम भाग							
द्वितीय भाग							
तृतीय भाग							
स्नातक का कुल प्राप्तांक व प्रतिशत							
एम.ए. पूर्वार्द्ध							
अन्य							

(11) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करने की तिथि ....

यदि आप इस महाविद्यालय की छात्रा रह चुकी हैं तो उसका वर्ष .... प्रवेश संख्या .... कक्षा ....

(12) अन्तराल वर्ष (Gap Year) का विवरण- अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा .... वर्ष ....

संलग्नकों की संख्याः-

अभिभावक के हस्ताक्षर	तिथि	छात्रा के हस्ताक्षर

कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय

प्रवेश-पत्र

वर्ष : 2021-2022

(संभाल कर रखा जाय तथा माँगने पर प्रस्तुत किया जाय)
प्रार्थिनी केवल अपना नाम, कक्षा तथा विषय ही स्वच्छतापूर्वक भरें

प्रवेश संख्या ....

कु./श्रीमती .... पुत्री श्री ....

को कक्षा .... में प्रविष्ट किया गया।

उसके विषय हैंः (1) .... (2) .... (3) .... (4) ....

हस्ताक्षर कार्यालय अधीक्षक

सम्बन्धित प्राध्यापिका के हस्ताक्षर (रजिस्टर में नाम लिखते समय)

प्रवेश तब तक स्वीकृत न होगा जब तक उनके साथ निम्न प्रपत्र नत्थी न किये जायेंगेः-

(क) उस विद्यालय से प्राप्त चरित्र तथा आचरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मूल रूप में जमा होंगे जहाँ से अन्तिम शिक्षा पाई है।

(ख) उत्तीर्ण की गयी समस्त परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। (सभी प्रमाण-पत्र व अंकतालिकाओं को मूल रूप से प्रवेश समिति को दिखाना अनिवार्य है।

(ग) यदि छात्रा ने अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की हो तो किसी विद्यालय (जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से निम्न न हो) के प्रधानाचार्या द्वारा हस्ताक्षरित केन्द्र प्रमाण-पत्र।

(घ) किसी भी छात्रवृत्ति/शुल्क मुक्ति हेतु अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, तहसीलदार का प्रमाणित प्रतिलिपि तथा जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।

(ड.) **छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दो प्रतियों में आय प्रमाण-पत्र (तहसीलदार का मूलरूप में तथा जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि लगाना अनिवार्य है।) अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त न करने हेतु घोषणा-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

छात्रा द्वारा घोषणा तथा अभिभावक की सहमति

(अ) इस आवेदन-पत्र में उपर्युक्त लिखित विवरण सही है।

(आ) विद्यार्थी जीवन में मेरे ऊपर अनुशासन भंग करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का आरोप कभी नहीं लगाया/लगाया गया।

(इ) किसी अपराध में न्यायालय द्वारा न कभी दण्डित की गई हूँ और न किसी प्रकार का अभियोग चल रहा है।

(ई) मैं कालेज का शुल्क शासनादेश के अनुसार नियमित जमा करती रहूँगी और यदि ऐसा न करूँ तो मेरा नाम कालेज से काट दिया जाये।

(उ) **मैं महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा में आऊँगी तथा अनुशासन सम्बन्धी सभी नियमों का पूर्ण परिपालन करूँगी। मैं मोबाइल लेकर और ज्वैलरी पहनकर महाविद्यालय नहीं आऊँगी। महाविद्यालय में पान मसाला/तम्बाकू खाकर नहीं आऊँगी तथा परिसर को गंदा नहीं करूंगी।**

(ऊ) मैं महाविद्यालय में नियमित रूप से आऊँगी। मेरी उपस्थिति 75% से कम होने पर छात्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(ए) मेरे जाति व आय प्रमाण-पत्र सही व सत्य लगाए हैं। असत्य पाये जाने पर मेरे प्रति आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

(ऐ) मैं घोषणा-पत्र के समस्त बिन्दुओं का परिपालन करूँगी।

उक्त का परिपालन न हो सकने की स्थिति में मेरा नाम महाविद्यालय से काटा जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। उपर्युक्त घोषणा या उसका भाग यदि असत्य सिद्ध हो तो कालेज से मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। प्राचार्या का निर्णय मेरे लिए अन्तिम होगा। विवरण पत्रिका के साथ लगा घोषणा-पत्र उसके दृढ़ता पूर्वक परिपालन हेतु संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः
1. हाईस्कूल अंकतालिका की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
2. हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
3. इण्टरमीडिएट अंकतालिका की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
4. इण्टरमीडिएट प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
5. जाति प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
6. बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग एम.ए. प्रथम वर्ष की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
7. आय प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
8. चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
9. टी.सी./केन्द्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
10. प्रवजन (Migration) प्रमाण-पत्र मूल रूप में।
11. WRN रजिस्ट्रेशन की प्रति।
12. रैगिंग हलफनामा (क) छात्रा द्वारा (ख) अभिभावक द्वारा (दोनों 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय)

छात्रा का टिकट साइज का चित्र

छात्रा के पूर्ण हस्ताक्षर ....

अभिभावक के हस्ताक्षर ....

कार्यालय प्रयोगार्थ

कु./श्रीमती .... पुत्री श्री .... को .... कक्षा में निर्धारित शुल्क लेकर प्रविष्ट किया जाय।

हस्ताक्षर प्राचार्या/प्रभारी प्रवेश समिति

शुल्क रुपये .... प्राप्त किये .... चालान सं0 ....

प्रवेश तिथि .... प्रवेश रजिस्टर संख्या ....

हस्ताक्षर लेखाधीक्षक

....

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

on stamp paper of
Rs. 10/-
only 1st year student

1) I ____ (full name of student with University Roll Number) S/O D/o Mr./Mrs./Ms. ____ having been admitted to ____ (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4) I hereby solemnly aver and undertake that:
   a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____________ day of ____________ month of ________ year.

____

Signature of deponent

Name : __________________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at __________ (place) on this the __________ (day) of ___________ (month), ______ (year).

____

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _________ (day) of ___________ (month).. _____________ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

on stamp paper of
Rs. 10/-
only 1st year student

1) Mr./Mrs./Ms. ______________________________ (full name of parent/guardian) Father/mother/guardian of, ______________________________ (full name of student with University Roll Number) ____________ having been admitted to ______________________ (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that:
   a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
   b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

   Declared this ______________ day of ______________ month of ________ year.

____
Signature of deponent

Name : ______________________________
Address: ______________________________
Telephone/Mobile No.: ______________________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at __________ (place) on this the __________ (day) of ___________ (month), ______ (year).

____
Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the _________ (day) of ___________ (month)..
______________ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

छात्रा द्वारा घोषणा-पत्र

मैं कुमारी/श्रीमती ....

घोषित करती हूँ तथा वचनवद्ध होती हूँ कि अपने पाठ्यक्रम के हर एक विषय में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहा करूँगी और यदि मेरी उपस्थिति 75% से कम पाई जावे तो प्राचार्या को अधिकार होगा कि वह मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति न प्रदान करें। उपस्थिति के सम्बंध में विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण अनुसरण करूँगी।

मैं कुमारी/श्रीमती ....

यह भी घोषित करती हूँ कि मैं बिना पर्याप्त कारण के, जिसके लिए मुझे प्राचार्या को संतुष्ट करना होगा, महाविद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहूँगी, यदि ऐसा न करूँ तो भी प्राचार्या को अधिकार होगा कि वह मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें।

मैं महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर/सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रमों में अवश्य भाग लूँगीं/उपस्थित रहूंगी। मैं विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र भरने, प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा की तिथि संबंधी जानकारी स्वयं महाविद्यालय से प्राप्त करूंगी।

छात्रा के हस्ताक्षर ....

कक्षा .... मो० नं० ....

संरक्षक द्वारा घोषणा-पत्र

मैं ....

अपनी पुत्री कु. ....

के आश्वासन की पुष्टि करता हूँ और उसके वचन के विपरीत किसी प्रकार की माँग न रखूँगा और महाविद्यालय के निर्णय को स्वीकार करूँगा।

मैं ....

अपने पाल्य की शैक्षिक एवं अनुशासन सम्बंधी प्रगति के विषय की जानकारी हेतु महाविद्यालय से सम्पर्क बनायें रखूंगा।

हस्ताक्षर (पिता/संरक्षक) ....

पता: ....

दूरभाष .... मोबाइल ....

छात्रा द्वारा घोषणा-पत्र

मैं कुमारी/श्रीमती ....

घोषित करती हूँ तथा वचनवद्ध होती हूँ कि अपने पाठ्यक्रम के हर एक विषय में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहा करूँगी और यदि मेरी उपस्थिति 75% से कम पाई जावे तो प्राचार्या को अधिकार होगा कि वह मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति न प्रदान करें। उपस्थिति के सम्बंध में विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण अनुसरण करूँगी।

मैं कुमारी/श्रीमती ....

यह भी घोषित करती हूँ कि मैं बिना पर्याप्त कारण के, जिसके लिए मुझे प्राचार्या को संतुष्ट करना होगा, महाविद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहूँगी, यदि ऐसा न करूँ तो भी प्राचार्या को अधिकार होगा कि वह मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें।

मैं महाविद्यालय में होने वाले पाठ्येत्तर/सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रमों में अवश्य भाग लूँगीं/उपस्थित रहूंगी। मैं विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन-पत्र भरने, प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा की तिथि संबंधी जानकारी स्वयं महाविद्यालय से प्राप्त करूंगी।

छात्रा के हस्ताक्षर ....

कक्षा .... मो० नं० ....

संरक्षक द्वारा घोषणा-पत्र

मैं ....

अपनी पुत्री कु. ....

के आश्वासन की पुष्टि करता हूँ और उसके वचन के विपरीत किसी प्रकार की माँग न रखूँगा और महाविद्यालय के निर्णय को स्वीकार करूँगा।

मैं ....

अपने पाल्य की शैक्षिक एवं अनुशासन सम्बंधी प्रगति के विषय की जानकारी हेतु महाविद्यालय से सम्पर्क बनायें रखूंगा।

हस्ताक्षर (पिता/संरक्षक) ....

पता: ....

दूरभाष .... मोबाइल ....

Undertaking /Declaration

I, ...
D/. Shri ....
hereby declare that:-

1. The facts given by me in the admission form are true to the best of my knowledge. I declare that I have not concealed any fact which is important to be disclosed by a bonafied student of the University/College/Institution. I understand that concealment of facts is punishable at any point of time.
2. I agree to abide by the rules and regulations of the University/College/Institution applicable from time to time and will not indulge in any activity which brings disrepute to my College/Institution and University. I also declare that I will not pursue for appearing in University Examination if my attendance falls below 75%.
3. I understand that ragging as defined by the authorities like Hon'ble Supreme Court/Hon'ble High Court/Central Govt./State Govt./UGC/University etc. is punishable offence. I am fully aware of the consequences of my indulgence in any sort of ragging and hence I will not involve myself in any act of ragging on and off campus of the University/College/Institution.
4. I also understand, in case, I am found guilty of any such activity, narrated in the foregoing points, I will be liable for punishment which may be to the extent of my expulsion/rustication from the University/College/Institution including institution of legal criminal proceedings against me.

Signature of the Student ____________________

Name of Student ____________________

Father's Name ____________________

Course of Study ____________________

Year of Admission ____________________

Mob. No. ____________________

Mentioned candidate is Daughter/Daughter-in-law/ Wife/ Ward of the undersigned. The undersigned as parent/guardian owes whole responsibility to the above declaration signed by the above named student. In case, the above named student is found guilty of any unlawful activity/ragging done by him/her, the undersigned has no objection if she is black listed/ debarred/ expelled/rusticated and/or any legal criminal proceeding is initiated against her by the State/University/College/Institution at any stage during her course of study.

As parent/guardian, the undersigned himself/herself will be agreeable to any punitive action taken against the above named student by the State/University/College/Institution as per statutory provisions.

Signature of Parent/Guardian ____________________

Name of Parent/Giuardian ____________________

Relation with the Student ____________________

Date ____________

Place ____________

Mob. No. ____________